दिनांक 21 फरवरी, 2015 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 21 फरवरी, 2015 को प्रातः 10.30 बजे माननीया कुलपति समणी चारित्रप्रज्ञा जी की अध्यक्षता में कुलपति कान्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1.	समणी चारित्रप्रज्ञा, कुलपति	अध्यक्षा
2.	प्रो. समणी चैतन्य प्रज्ञा	सदस्य
3.	प्रो. दामोदर शास्त्री	सदस्य
3.	प्रो. जे.पी.एन.मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो. आर.बी.एस. वर्मा	सदस्य
5.	प्रो. बनवारीलाल जैन	सदस्य
6.	प्रो. रेखा तिवारी	सदस्या
5.	प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
6.	डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा	सदस्या
7.	प्रो. बच्छराज दूगड़	सदस्य
9.	डॉ. समणी सत्य. प्रज्ञा	सदस्या
10.	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	सदस्य
11.	डॉ. मनीष भटनागर	सदस्य
12.	डॉ. जुगलकिशोर दाधीच	सदस्य
13.	डॉ. शशिबाला सिंह	सदस्य
14.	प्रो. ओ.पी.पाण्ड़ेय	सदस्य
16.	प्रो. अशोक बापना	सदस्य
17.	प्रो. राजुल भार्गव	सदस्या
18.	प्रो. एस.पी.दुबे	सदस्य
19.	प्रो. एस. सी. राजोरा	सदस्य
20.	प्रो. एन. कृष्णास्वामी	विशेष आमंत्रित
21.	प्रो. अनिल धर	कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया द्वारा बैठक में आगन्तुक समस्त महानुभावों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

01) गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।
(Approval of minutes of the 28th Meeting held on January 25, 2014)
सदन द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2014 के बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02) चॉइस बेसड़ क्रेडिट सिस्टम लागू करने की अनुमति।
(Approval for adoption of Choice Based Credit System)
कुलसचिव ने विद्या परिषद को यह जानकारी दी की माननीया कुलपति महोदया ने प्रो. आर.बी.एस. वर्मा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार संस्थान के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों हेतु Choice Based Credit System का प्रारूप बनाकर देने का दायित्व दिया था। इस प्रारूप को अनुमोदन हेतु विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस विषय पर विचार–विमर्श के पश्चात् विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

CamScanner

(03) निम्नलिखित विभागों /महाविद्यालयों में अध्ययन मंड़ल द्वारा पारित संशोधित/नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन –
(Discussion and approval recommended syllabus (amended/new) by Board of Studies of their respective departments) –

(i) **जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग (Dept. of Jainology and Comparative Religion & Philosophy)**

विभागाध्यक्षा प्रो. समणी चैतन्यप्रज्ञा ने विद्या परिषद को यह जानकारी दी की एम.ए. के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्ड़ल की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है तथा आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू की जाएगी। विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

(ii) **संस्कृत एवं प्राकृत विभाग (Dept. of Sanskrit and Prakrit)**

इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दामोदर शास्त्री ने सदन को यह जानकारी दी की एम.ए. संस्कृत एवं प्राकृत के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रो. बच्छराज दूगड़ का विचार था कि एम. ए. संस्कृत प्रथम सत्र के तृतीय पत्र का नाम "संस्कृत काव्य साहित्य" के स्थान पर "जैन संस्कृति एवं साहित्य" किया जाये। इस सन्दर्भ में यह विचार आया कि विभागाध्यक्ष प्रो. एस.पी.दुबे से इस सन्दर्भ में विचार–विमर्श कर आवश्यक संशोधन कर लेवे, इस सम्बन्ध में विद्या परिषद ने अंतिम निर्णय लेने हेतु माननीया कुलपति महोदया को अधिकृत किया।

इसके अतिरिक्त प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि अध्ययन मण्ड़ल की बैठक एम.ए. हिन्दी का पाठ्यक्रम पारित करवा लिया गया है, इस सम्बन्ध में विचार आया कि पाठ्यक्रम में हिन्दी उपन्यास एवं हिन्दी कहानी का पाठ्यक्रम अलग–अलग करना चाहिए। विद्या परिषद द्वारा पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन के साथ इसे स्वीकृत किया गया कि इसे प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाए। आगामी सत्र से एम.ए. संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी से C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की भी जानकारी सदन को दी गई।

प्रो. दामोदर शास्त्री, विभागाध्यक्ष ने विभाग के नामकरण में परिवर्तन करने का सुझाव सदन के समक्ष रखा। सदन ने इस विषय पर काफी विचार–विमर्श के पश्चात् विभाग का नाम "प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग" रखने की स्वीकृति प्रदान की।

(iii) **जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग (Dept. of Science of Living Preksha Meditation and Yoga)**

इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. जे.पी.एन. मिश्रा ने एम.ए./एम.एस.सी. जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योगा के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित आवश्यक संशोधनों एवं आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन के समक्ष रखी, जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष ने विभाग का नामकरण परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव सदन सदन के समक्ष रखा, जिसे विद्या परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। आगामी सत्र से विभाग का नाम "योग एवं जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान विभाग" "Department of Yoga and Science of Living" होगा।

(iv) **अहिंसा एवं शांति विभाग (Dept. of Non-Violence & Peace)**

विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल धर ने M.A. in Non-violence and Peace एवं M.A. in Political Science, B.A. (NVP स्नातक स्तर पर) M.Phil (NVP) के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्ड़ल द्वारा संशोधित पारित पाठ्यक्रम को विद्या परिषद के समक्ष रखा एवं आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी, जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

CamScanner

समाज कार्य विभाग (Dept. of Social Work)

विभागाध्यक्ष प्रो. आर.बी.एस. वर्मा ने समाज कार्य विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा स्वीकृत समाज कार्य विभाग के वर्तमान पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन एवं आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी। जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से पारित किया गया।

(vi) शिक्षा विभाग (Department of Education)

विभागाध्यक्ष प्रो. बनवारीलाल जैन ने सदन को बताया कि आगामी सत्र से बी.एड एवं एम. एड् का पाठ्यक्रम दो वर्ष का हो गया है। उपरोक्त पाठ्यक्रम NCTE के Frame Works के अनुसार किये जाने के बारे में जानकारी दी। इस सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा अध्ययन मण्ड़ल की बैठक में पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाए तथा इसे लागू करने के लिए विद्या परिषद ने माननीया कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

(vii) अंग्रेजी विभाग (Department of English)

अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्षा प्रो. रेखा तिवारी ने एम.ए. अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी के साथ आगामी सत्र से C.B.C.S प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी। सदन में क्रेड़िट सिस्टम समान नहीं होने के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाया गया । काफी विचार–विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि समस्त पेपरों में क्रेड़िट सिस्टम में समानता होनी चाहिए।

(viii) आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय (Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya)

आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा जी ने आगामी सत्र से अध्ययन मण्डल द्वारा पारित बी.ए./बी.काम. के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की जानकारी के साथ स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में से C.B.C.S प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी।

इसके अतिरिक्त आगामी सत्र से बैंकिग का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की जानकारी सदन को दी। उपरोक्त दोनो प्रस्ताव विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से पारित किए गये।

(ix) दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

- दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित एम.ए. राजनीति विज्ञान का पारित पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा से प्रारम्भ करने की जानकारी सदन को दी। इस सम्बन्ध में यह विचार आया कि "जैन संस्कृति एवं जीवन मूल्य" के स्थान पर "जैन राजनेतिक विचार एवं जीवन मूल्य" अधिक उपयुक्त होगा। विद्या परिषद द्वारा आगामी सत्र से इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- प्रो. त्रिपाठी ने वर्तमान में संचालित बी.पी.पी. पाठ्यक्रम को इसी सत्र से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित पाठ्यक्रम (पांच पत्रों – सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान) के अनुसार परिवर्तन कर लागू करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। उन्होंने यह भी बताया कि इससे संस्थान, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से अनुमति लेकर बी.पी.पी. को 10+2 के समकक्ष करने की अनुमति ले सकता हैं। विद्या परिषद द्वारा आगामी सत्र से इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- बी.पी.पी. कोर्स करने के पश्चात् संस्थान से बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की समय सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

- सदन में सर्वसम्मिति से यह भी निर्णय लिया गया कि बी.पी.पी. के कोर्स को संस्थान में सिद्धान्तः 10+2 के समकक्ष माना जा सकता है। इस हेतु विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

- प्रो. त्रिपाठी ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्तमान में संचालित समस्त उपाधि पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को दिये जाने वाले दो सत्रीय कार्य के स्थान पर एक सत्रीय कार्य किये जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जिसे विद्या परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(04) **सी.आई.ए. प्रणाली में सुधार हेतु अनुमति।**
(Approval for modification in C.IA. System)

माननीया कुलपति महोदया की दिनांक 07 जनवरी, 2015 को आयोजित समस्त विभागाध्यक्षों की बैठक में संस्थान में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में C.I.A. System में परिवर्तन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की जानकारी दी जिसके अनुसार समस्त पाठ्यक्रमों में अंकों का विभाजन निम्न प्रकार से रहेगा :

अ.	प्रार्थना, ध्यान, एवं कक्षाओं में उपस्थिति	10 अंक
ब.	मिड़– टर्म टैस्ट	10 अंक
स.	विभागीय सेमीनार प्रस्तुति	05 अंक
द.	असाईन्मेंट	05 अंक
	कुल	30 अंक

विद्या परिषद द्वारा इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान की गई।

(05) माननीया कुलपति महोदया ने विद्या परिषद के समक्ष प्रो. फूलचंद जैन, वाराणसी को जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में एवं प्रो. अशोक बापना, जयपुर को अहिंसा एवं शांति विभाग में ऐमरिट्स प्रोफेसर के मनोनयन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।

अन्त में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(प्रो. अनिल धर)
कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

CamScanner

जैन विश्वभारती संस्थान लाडनूं – ...जस्थान)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत घोषित मान्य विश्वविद्यालय)

दिनांक 25 जनवरी, 2014 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

जैन विश्वभारती संस्थान की विद्या परिषद की बैठक का आयोजन दिनांक 25 जनवरी, 2014 को माननीया कुलपति महोदया समणी चारित्रप्रज्ञा जी की अध्यक्षता में कुलपति कान्फ्रेंस हॉल में किया गया, जिसमें निम्नलिखित महानुभावों ने भाग लिया :

1.	समणी चारित्रप्रज्ञा	कुलपति एवं अध्यक्षा
2.	प्रो.एम.सी.शर्मा	सदस्य
3.	प्रो. ओ.पी.पाण्डेय	सदस्य
4.	प्रो. एस.पी.दुबे	सदस्य
5.	प्रो.शशिबाला सिंह	सदस्या
6.	प्रो. राजेश शर्मा	सदस्य
7.	प्रो. बच्छराज दूगड़	सदस्य
8.	प्रो. जे.पी.एन. मिश्रा	सदस्य
9.	प्रो. दामोदर शास्त्री	सदस्य
10.	प्रो. समणी कुसुमप्रज्ञा	सदस्या
11.	प्रो. रेखा तिवारी	सदस्या
12.	डॉ. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
13.	डॉ. बनवारीलाल जैन	सदस्य
14.	डॉ. समणी ऋजुप्रज्ञा	सदस्या
15.	डॉ. समणी सत्यप्रज्ञा	सदस्या
17	डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा	सदस्या
18.	श्री प्रतापचन्द बेहरा	सदस्य
19.	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	सदस्य
20.	डॉ. मनीष भटनागर	सदस्य
21.	डॉ. जुगलकिशोर दाधिच	सदस्य
22.	डॉ. सचिन जैन	विशेष आमंत्रित
23.	डॉ. अनिल धर	कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया द्वारा बैठक में समस्त नव आगन्तुक महानुभावों का परिचय के साथ स्वागत किया गया। इसके पश्चात् कुलसचिव महोदय ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की :

1. **गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि (Approval of Minutes of the 13th Meeting held on March 09, 2013)**
   सदन द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2013 की बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

CamScanner

2. **अन्य विषयों में शोध की संभावनाएं (Identifying the Research Thrust Area)**

कुलसचिव महोदय द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा उनके विभागों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर शोध करने हेतु जानकारी प्रस्तुत की गई उसे सदन के समक्ष विचार–विमर्श करने हेतु प्रस्तुत किया।

इस सम्बन्ध में माननीया कुलपति महोदया का मत था कि जो भी शोध कार्य हो वे उन विषयों पर होने चाहिए पर अभी तक शोध कार्य नहीं हुआ हो तथा वे गुणवत्ता पूर्वक हो। इस सम्बन्ध में प्रो. एम.सी.शर्मा ने शिक्षा सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य करने की संभावनाए बताई। इसके अतिरिक्त प्रो. शशिबाला सिंह ने विज्ञान, प्रेक्षाध्यान एवं योग के क्षेत्र कार्यरत संस्थानों के साथ शोध कार्य करनें पर जोर दिया। प्रो. सत्यप्रकाश ने संस्कृत एवं प्राकृत एवं जैन विद्या एव तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग से सम्बन्धित विषयों पाण्डुलिपियों आदि ग्रंथों पर शोध कार्य करने का सुझाव दिया। विचार'–विमर्श के दौरान यह विचार भी आया कि जो भी शोध कार्य वे सिद्धान्ततः प्रयोगात्मक दृष्टि से भी होने चाहिए। इस सन्दर्भ में प्रो. बच्छराज दूगड़ का सुझाव था कि हमारा विभाग है वे सामाजिक विज्ञान एवं मानवीकी पीठ से सम्बन्धित है, अतः इन विभागों में प्रयोगात्मक शोध कार्य जाना संभव नहीं है। प्रयोगात्मक शोध कार्य केवल विज्ञान जैसे विषयों में ही किए जा सकते है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी विचार था कि विश्वविद्यालय में अर्न्तविभागीय शोध विषयों पर भी शोध कार्य होने चाहिए। इस विचार करना आवश्यक है तथा इसके लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया जाए।

3. **निम्नलिखित विभागों /महाविद्यालयों में अध्ययन मंड़ल द्वारा पारित संशोधित/नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धि बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन (Discussion and approval of passed syllabus (amended/new) Board of Studies of thir respective departments as following)** :

1. **जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन (Jainology and Comparative Religion & Philosophy)**

   विभागाध्यक्ष प्रो. दामोदर शास्त्री ने सदन के समक्ष विभाग में दिनांक 06.01.2014 को अध्ययन मण्डल द्व विभाग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन करने की जानकारी दी, जिसे सदन द्वारा स्वीकृ प्रदान की गई।

2. **जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग (Science of Living Preksha Meditation and Yoga)**

   विभागाध्यक्ष प्रो. जे.पी.एन.मिश्रा ने सदन के समक्ष विभाग में दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को आयो अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की जानकारी दी, जिसे सदन द्व स्वीकृति प्रदान की गई।

3. **अहिंसा एवं शांति विभाग (Non-Violence & Peace)**

   a. **Training Programme in association with Prof. Tara Sethia Project : Teachers Vi Orientation.**

   विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल धर ने सदन के समक्ष विभाग के **Teaching Programme** की जानकारी जिसे सदन द्वारा सर्व–सम्मित से स्वीकृति प्रदान की गई।

4. **महादेवलाल सरावगी अनेकान्त शोधपीठ (Mahadevlal Sarawagi Anekant Shodhpeeth)**

   शोधपीठ के उपनिदेशक डॉ. अनिल धर ने सदन को **JVBI & Ghent University, Belgium** द्वारा गये एम.ओ.यू. **Three months programme on Jainology/SOL, PM & Yoga/NVP/Sanskrit Prakrit** की जानकारी दी, जिसे सदन द्वारा सर्व–सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

5. **समाज कार्य विभाग (Department of Social Work)**

   विभागाध्यक्ष श्री प्रतापचन्द बेहरा ने सदन को विभाग में दिनांक 12 अक्टूबर, 2013 को आयोजित अ मंडल की बैठक के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है, जिसे सदन द्वारा सर्व–सम्मति से पारित किया गया।

   इसके अतिरिक्त फील्ड़ वर्क मूल्यांकन सम्बन्धित प्रस्ताव भी रखा गया जिसमें प्रत्येक सेमेस्टर में विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन न करके वार्षिक मूल्यांकन करने का प्रस्ताव रखा गया था। परन्तु सदन ने प्रस्ताव को वार्षिक मूल्यांकन के स्थान पर सेमेस्टर वाईज करने का सुझाव दिया। जिसे सर्व–सम्म पारित किया गया। फील्ड़ वर्क मूल्यांकन का अंक 200 में से 150 आंतरिक एवं 50 अंक बाह्य का रखा गया। इस विषय पर सदन में विचार–विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया कि बाह्य एवं आ मूल्यांकन बराबर रखा जाए।

6. **अंग्रेजी विभाग (Department of English)**

   विभागाध्यक्ष प्रो. रेखा तिवारी ने दिनांक 18 दिसम्बर 2013 को विभाग मे आयोजित अध्ययन मण्ड़ बैठक में पारित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के आंशिक संशोधनों की जानकारी सदन को दी। सर्व–सम्मति से सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

7. **दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)**

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉ. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने सदन के समक्ष दिनांक 28 जनवरी 2014 को संस्थान के बी.पी.पी.पाठ्यक्रम के माध्यम से स्नातक किये गये विद्यार्थियों को संस्थान मे नियमित स्नातकोत्तरं पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता के सन्दर्भ में दिनांक 23.01.2014 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को रखा। इस सम्बन्ध में काफी विचार–विमर्श के बाद सदन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संस्थान के बी.पी.पी. पाठ्यक्रम के माध्यम से उत्तीर्ण स्नातक विद्यार्थियों को संस्थान के नियमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एवं पीएच.डी मे प्रवेश नहीं दिया जाए। यह भी सुझाव आया कि पात्रता सम्बन्धी जानकारी का उल्लेख संस्थान के प्रोसपेक्ट्स में भी होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त डॉ. त्रिपाठी ने आगामी सत्र से पत्राचार के माध्यम से निम्नलिखित सर्टिफिकेट एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए सदन के समक्ष रखा:

1. जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग में 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स **(Six Month Certificate Course in M.A. Science of Living Preksha Meditation & Yoga)**

   इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने से पहले इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श किया गया तथा सदन द्वारा इस आशय के साथ आंशिक स्वीकृति की गई कि निदेशालय पहले इसकी सम्पूर्ण पाठ्य–सामग्री तैयार करें और उसके पश्चात् आगामी सत्र से लागू करें।

2. **स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु विचार–विमर्श** :

   1. एम.ए. समाज कार्य **Master of Social Work**
   2. एम.ए. राजनीति विज्ञान **M.A. in Political Science**
   3. एम.ए. संस्कृत **M.A. in Sanskrit**

सर्टिफिकेट कोर्स:

1 **Journalism and Mass Communication**

डॉ. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने उपरोक्त 3 स्नातकोत्तर एवं एक सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विद्या परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा। इस सम्बन्ध में सदन मे इन पाठ्यक्रमों की अध्ययन मंड़ल द्वारा स्वीकृति, भविष्य में विद्यार्थियो की संख्या, मांग, अनुमानित व्यय आदि सहित सम्पूर्ण तैयारी कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया।

इसके अतिरिक्त डॉ. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने दूरस्थ शिक्षा के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पुर्नमूल्यांकन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव भी रखा। सदन में काफी विचार'–विमर्श के पश्चात् इसे लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

डॉ. त्रिपाठी ने सदन को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्नातक–स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को आन–लाईन पाठ्य–सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जानकारी प्रदान की, इस सम्बन्ध में यह भी विचार आया कि इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों का फीड़बेक भी लेना चाहिए कि कितने विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ उठाते है।

8. **आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय (Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya)**

आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा ने महाविद्यालय में अध्ययन मंड़ल द्वारा पारित संशोधित/नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदना हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1. Approval of Six Month Certificate Courses in IT.
2. Approval of minor changes in syllabus of IT Semester III and VI.
3. Approval of Paper of Enterpreneruship in B.Com. Semester VI and minor changes in Paper-II in Semester VI.

सदन द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों में आंशिक संशोधनों की स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त समणी मल्लीप्रज्ञा ने निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में संशोधन की अनुमोदना हेतु सिद्धान्ततः स्वीकृति करने हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत किया:

i. Syllabus of Geography in Semester III & IV.
ii. Revision and modification in syllabus of B.A. and B.Com.
iii. Approval of changes in the exam pattern, marks distribution and practical with theory in B.Com. Semester I and II.

CamScanner

सदन में इस सम्बन्ध में विचार किया गया कि जो पाठ्यक्रम विद्या परिषद द्वारा स्वीकृत होते है, उन्हें
कम 3 वर्ष तक संचालित रखना चाहिए। यदि उसमे कोई परिवर्तन/संशोधन करना हो तो उसे अध्ययन
की बैठक में पारित करवाकर विद्या परिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए। अतः इस सम्बन्ध
भी निर्णय नहीं लिया गया।

4. विद्या परिषद में सदस्यता हेतु विजीटिंग फैलो आदि के नामांकन हेतु प्रस्ताव **(Proposal/approval/nomina**
Visiting Fellow/Member Academic Council) :

उपरोक्त विषय पर सदन में विचार–विमर्श करने के पश्चात उपरोक्त बिन्दु पर निर्णय लेने हेतु माननीया
महोदया को अधिकृत किया गया।

5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों **C.I.A.** सिस्टम के अर्न्तगत विद्यार्थियों को 30 प्रतिशत तक अंक प्राप्त क
उत्तीर्ण करने का निर्णय लिया गया।

6. विद्या परिषद द्वारा पीएच.डी. में प्रवेशरत विद्यार्थियों के शोध प्रारूप मूल्यांकन हेतु अन्य विश्वविद्यालयों क
विभागीय शोध कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस कमेटी विभागाध्यक्ष एवं विभाग के सदस्य
बाह्य विशेषज्ञ होगा।

अंत में कुलसचिव महोदय ने धन्यवाद ज्ञापित किया और बैठक समाप्ति की घोषणा की।

(डॉ. अनिल धर)
कुलसचिव एवं गैर सदस्य

CamScanner

Post Graduate and Under-Graduate Regulations on Adoption of Choice Based Credit System

27

Prepared By:

Prof. R. B. S. Verma

Jain Vishva Bharati Institute
(Deemed-to-be University)
Ladnun-341306 (Rajasthan)

CamScanner

Jain Vishva Bharati Institute
(Deemed-to-be) University, Ladnun

Post Graduate and Under-Graduate Regulations on Adoption of Choice Based Credit System

Preamble -

The Choice Based Credit System (CBCS) is a part of academic reform process to enhance quality of education and facilitate transferability of students from one university/Institution to another at the national and international level. This system provides opportunities to the learners to understand the subject at their own pace, develop analytical abilities, critical thinking and capacities to solve problems. The system allows flexibility to learner to choose different courses in the process of accumulating the credits. While allowing to develop disciplinary knowledge, it allows knowledge of interdisciplinary subjects as per choice of learner and course offerings by the institutions. Credit earned through the learning of skills also promotes employability among the graduates and post graduates of higher education.

The system provides substantial autonomy to teachers to formulate their own course curricula and enables them to introduce innovations in teaching and learning process and upgrade overall quality of higher education. The system encourages transparency and accountability in evaluation system in an objective manner and provides scope for comprehensive and continuous evaluation of students and encourages them to learn.

1. **Title and Commencement**

   These regulations shall be called the Jain Vishva Bharati Institute (Deemed-to-be) University, Ladnun Regulations for Choice Based Credit System (CBCS) and Continuous Assessment Grading (CAGA) Pattern for Post-Graduate and Under-Graduate Programmes. These regulations shall come into force from the academic year 2015-2016.

2. **Programmes Offered**

2.1 Post Graduate

M.A.

MSW

PG Diplomas

CamScanner

2.2 Under-Graduate

B.A.

B.Com

23

3. Definitions

3.1 "Programme" is used for a fixed educational programme in place of Degree. A Post-Graduate Programme shall be of four semester's duration and a normal under-graduate programme shall be of six semester's period.

3.2 "An Academic Year" consists of two semester's Each semester will have 24 weeks for academic work, the odd semesters may be scheduled from July to December and even semester from January to May.

3.3 "Course" is a component of programme i.e. in CBCS, papers will be referred to as courses. Each course is identified by a unique course code. Every course may not be of equal weightage. Each course, in addition of having a curriculum will have learning objectives and learning outcome.

A Course may be designed to involve Lectures/Tutorials/Laboratory Work/Field Work/Project Work/Vocational Training/Viva-voce etc or combination of some of these.

Every course offered will normally have three components associated with the teaching learning process of the Course. Namely (I) Lecture – L (II) Tutorial-T (III) Practicals – P. Where

L- Stands for Lecture session.

T- Stands for Tutorial session consisting of participatory discussion/self study/desk work/brief seminar presentations by students and such other novel methods that make a student to absorb and assimilate more effectively the contents delivered in Lecture classes.

P- Stands for practice session and it consists of hands on experience/laboratory experiments/ field experiments/case studies that equip students to acquire much required skill component.

In terms of credit, every one hour session of L (per week) amounts to I credit per semester and minimum of two hour session of T or P (per week) amounts to I credit per semester over a period of one semester of 24 weeks for teaching-learning process (inclusive of teaching and examination).

A course shall have one, two or all three components. That means a course may have only lecture component or only practical component or combination of any two or all the three components.

CamScanner

The total credit earned by a student at the end of the semester upon successfully completing the course is L+T+P. The credit pattern of the course is indicated as L:T:P

For 4 credits course, different credit distribution patterns in L:T:P format could be

4 : 0 : 0	1 : 2 : 1	1 : 1 : 2	1 : 0 : 3	1 : 3 : 0
2 : 1 : 1	2 : 2 : 0	2 : 0 : 2	3 : 1 : 0	3 : 0 : 1
0 : 2 : 2	0 : 4 : 0	0 : 0 : 4	0 : 1 : 3	0 : 3 : 1

The concerned Board of Studies will choose the convenient credit pattern for every course based on the requirement.

Different categories of courses are as follows:

- **Core Compulsory Course**

(a) Core-Compulsory is a course which has to be studied compulsorily as a part of core requirement so as to get degree in concerned discipline.

- **Elective Course**

It is a course which can be choosen from pool of courses. The course may be specific / specialized / supportive or advanced to the discipline of study.

(a) Generic Elective Course add generic proficiency to the students and they are for the said discipline of study

(b) Open Elective courses are from the pool of courses that are interdisciplinary and or multidisciplinary.

- **Foundation Course**

It is a course that aims to improve proficiency and skill of the student.

(a) Compulsory Foundation Course add generic proficiency to the students belonging to all disciplines of study.

(b) Elective Foundation Courses are value based and aimed at man making education.

3.4 A 'module' means a course having independent entity.

3.5 'Unit' means a course having independent part in a course.

3.6 "Credit" means the unit by which the course work is measured. It defines the quantum of contents/syllabus prescribed for the course. It also determines the number of hours of instructions required per week. In these regulations one credit means one hour of direct teaching work or two hours of practical work/field work per week for 20 weeks in a semester.

3.7 "Grade Letter" is an index to indicate the performance of student in a particular course. It is arrived at by transformation of actual marks secured by a student in a said course. Grade letters are O,A,B,C,D,E,F.

CamScanner

3.8 "Grade Point" is the weightage allotted to each grade letter depending on the range of marks awarded in a course.

3.9 "Credit Points" refer to the product of "Number of credit assigned to the course" and the grade point secured for the same course.

3.10 "Semester Grade Point Average" (SGPA) is an index of a student's performance in a given semester. It is the ratio of the "Total credit points earned by students in all courses at the semester" and the "Total number of credit assigned to the courses" in the semester.

3.11 "Cumulative Grade Point Average" (CGPA) refers to the cumulative grade point average of SGPA and is computed based on the following formula.

$$\text{CGPA} = \frac{\text{Sum of all Credit Points of Entire Programme}}{\text{Sum of Credits up to the end of Programme.}}$$

3.12 "Under Graduate Programmes" means Bachelor's Degree Programmes labeled as B.A., B.Com., B.Ed. etc.

3.13 "Post-Graduate Programmes" means Master's Degree Programme labeled as M.A., MSW, M.Ed. etc.

3.14 "PG Diploma Programmes" means a programme in specific subject after Graduation.

3.15 "Certificate Programmes" means a programme in specific subject after completing eligibility course.

3.16 "Typical Semester System" is as follows:

CamScanner

Typical Semester

1-8 weeks	9 Week	10-16 weeks	17-20 Week	21-24 week	25-26 week
Teaching involving lectures, tutorials and practical interspersed with comprehensive continuous assessment in the form of quizzes, assignments, group discussions, seminars etc.	Semester Break/ vacations / time for extracurricular activities	Teaching involving lectures, tutorials and practical interspersed with comprehensive continuous assessment in the form of quizzes, assignments, group discussions, seminars etc.	Term End Examination to be conducted in 4 weeks duration including preparatory holidays Total Duration of Semester: 24 weeks or 6 months	Evaluation of scripts, collation of raw scores of comprehensive continuous Assessment and term end examination followed by assignment of grades and declaration of results	Vacations

4. **Credit Framework for Normal under Graduate Level Course.**

4.1 The normal graduation programme shall have 20 credits per semester making total credits for whole programme as 120. The distribution of credits of weightage of core, elective and foundation courses may normally be as follows:

Academic Year	Semester	Core	Elective	Foundation
1	I and II	60%	20%	20%
2	III and IV	60%	20%	20%
3	V and VI	60%	20%	20%

Distribution of Credits for Semester is as follows:						
Semester	I	II	III	IV	V	VI
Credits	20	20	20	20	20	20

Note: The Concerned Board of Studies may be Modify the above distribution.

CamScanner

4.2 **Course-Wise Distribution of Credits (per semester)**
This will be as per decision of Board of Studies. However, Two Foundation Courses will be introduced in First and Second Semesters of 4 Credit each.

5. **Credit Framework for PG Programme**

5.1 Four Semester Two Year PG Programme of 80 Credits or more as per decision of Board of Studies.

5.2 Five papers per semester including project work/field work/practical.

5.3 Division of Credit between theory + practical (3+1=4).

5.4 Distribution of Credits

6. **Credit and Teaching Hours.**

1 Credit = 1 hour Teaching

1 Credit = 2 hour of Practical / Fieldwork

4 Credit Course needs four hour Student Teacher contact in a week.

7. **Units and Course**

A course shall have Four units.

8. **Credits and Marks**

1 Credit = 25 marks

9. **Comprehensive Continuous Assessment: Total 30 Marks**

1. Prayer, Meditation and Attendance: 10 Marks.
2. Mid-term test: 10 Marks.
3. Departmental Seminar: 5 Marks.
4. Assignment: 5 Marks.

10. **Evaluation (Calculation of Raw Score)**

Credits and Marks Distribution (Theory)

- Course Credits 4
- Total Marks 100

Credits and Marks Distribution (Field Work/Practical)

- Course Credits – 4
- Total Marks – 100

Distribution

- Record Marks (Based on Continuous assessment of practical works/lab (Regularity and Timely Submission.) : 50 Marks (50%)

CamScanner

- Attendance: 10 Marks (10%)
- End Semester Ex.: Lab Experiment / Procedure Writing / Tabulation of Reading etc. / Innovation: 20 Marks (20%)

  Viva Voce: 20 Marks (20%)

11. **Grading**

Grade Points	Description	% of Marks	Division	Grade
10	Outstanding	90% - 99%	First	O
9	Excellent	80% - 89%	First	A
8	Very Good	70% - 79%	First	B
7	Good	60% – 69%	First	C
6	Fair	50% - 59%	Second	D
5	Average	40% - 49%	Pass	E
4	Dropped	Between 40%	Fail	

12. **Performance Evaluation (Calculation)**

- **SGPA = ECG/EC for a Semester**
- G is grade and C is Credit of Course.
- Cummulative Grade Point Average (CGPA) for entire course
- **CGPA = ECG/EC for all semester taken together.**
- The total credits cover the core, elective, field work or extension activities, soft skills etc.
- GP A is calculated at the end of each term after grades have been processed and after any grade has been updated or changed.
- Some criteria are to be followed for individual assignment / Quizzes/Test/Unit Test/ Tutorials/ Practical/ Projects/ Seminar.
- The teacher should convert his/her marking in to the quality points and letter grade.

Example

CamScanner

...urses in ...mester	Marks Obtained	Grade	Grade Points (G)	Credits Per Course (C)	ECG = (CxG)	SGPA = ECG/EC
...urse – I	55	D	6	4	24	
...urse –II	65	C	7	4	28	
...urse –III	70	B	8	4	32	146/20 = 70.3
...urse –IV	80	A	9	4	36	
...urse –V	50	D	6	2	12	
...urse –VI	60	C	7	2	14	
...sses Credit Earned = 20				EC = 20	ECG = 146,	Grade = B

13. Promotion, Re-Admission and Time For Completion of Course

Under-Graduate Programme

1. A candidate, who has undergone a regular course of study in Semester I, fulfill the required criteria of attendance and has secured marks equal to passing standard both in Internal and External Examination shall be eligible for promotion to Semester II.
2. A candidate who has successfully completed all the courses of Semester I, but not all the courses of Semester II shall be eligible for promotion to Semester III. He/she will be required to complete all courses of Semester II before migrating to Semester IV.
3. A Candidate, who has undergone a regular course of study in Semester III, fulfills the required criteria of attendance and has secured marks equal to passing standard both in Internal and External Examination shall be eligible for promotion to Semester IV.
4. A candidate who has successfully completed all the courses of Semester I and II but not all the courses of Semester III shall be eligible for promotion to Semester IV. He/she will be required to complete all courses of Semester III before migrating to Semester V.
5. The same rules shall be applied for promotion from Semester IV to V and from V to VI respectively.

CamScanner

6. A candidate will be allowed two blank semesters continuously in case he/she may have to leave his/her study halfway due to unforeseen circumstances. However he/she may have to pay the prescribed registration fee as decided by university.
7. A candidate shall have maximum of 10 semesters (five academic years) for completion of a said programme in case he/she wishes to go at a slower pace. However he/she will have to pay the prescribed registration fee for each of the semester in addition to the course fee for the courses he/she avails during each semester.
8. The tentative/provisional grade shall be issued at the end of every semester indicating the courses completed successfully. The final Grade Card may be issued by the Registrar of the concerned university after a candidate has successfully completed all the courses of the said programme.

Post-Graduate Programme

1. A candidate, who has undergone a regular course of study in Semester I, fulfills the required criteria of attendance and has secured marks equal to passing standard both in Internal and External Examination shall be eligible for promotion to Semester II.
2. A candidate who has successfully completed all the courses of Semester I, but not all the courses of Semester II shall be eligible for promotion to Semester III. He/she will be required to complete all courses of Semester II before migrating to Semester IV.
3. A Candidate who has undergone a regular course of study in Semester III, fulfills the required criteria of attendance and has secured marks equal to passing standard both in Internal and External Examination shall be eligible for promotion to Semester IV.
4. A candidate, who has successfully completed all the course of Semester I and II but not all the courses of Semester III shall be eligible for promotion to Semester IV. He/she will be required to complete all courses of Semester III at the time of end semester examination of Semester IV.
5. A candidate will be allowed one blank semester continuously in case he/she may have to leave his/her study halfway due to unforeseen circumstances. However he/she may have to pay the prescribed registration fee as decided by university.

CamScanner

6. A candidate shall have maximum of 06 semesters (three academic years) for completion of a said programme in case he/she wishes to go at a slower pace. However he/she will have to pay the prescribed registration fee for each of the semester in addition to the course fee for the courses he/she avails during each semester.

7. The tentative/provisional grade shall be issued at the end of every semester indicating the courses completed successfully. The final Grade Card may be issued by the Registrar of the concerned university after a candidate has successfully completed all the courses of the said programme.

14. Provision for Appeal

There shall be a provision for Appeal for a candidate who may be dissatisfied with the Grade he/she has been awarded. He/she can approach the Grievance Cell with the written submission. The appeal may be made for in Semester examination as well as the End of Semester examination. The Grievance Cell is empowered to revise the grades if the case is genuine and is also empowered to penalize the candidate if his/her submission is found to be baseless and unduly motivated. The Grievance Cell may be set up as per the norms of the University/Institution.

CamScanner

2 प्रो. आर.आर. सिंह ने विश्वविद्यालय के विकास हेतु यह सुझाव दिया कि भारत सरकार की 12वी पंचवर्षीय योजना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा के आधार पर जैन विश्वभारती संस्थान को अपनी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

शोध कार्य के लिए Inter Disciplinary Research Center की स्थापना करने तथा इस सेन्टर के अन्तर्गत निम्न तीन प्रकार के शोध कार्य करने का सुझाव भी दिया:

1. दर्शन एवं कार्य शोध (Philosophy and Action Research)
2. विज्ञान एवं समाज (Science & Society)
3. समाज विकास (In Social Development Action Oriented Research)

3. प्रो. राजेन्द्र मिश्रा का सुझाव था कि संस्थान के गैर पारम्परिक विषयों के विभागों को समृद्ध करने हेतु संस्थान में अच्छे विद्वानों की नियुक्ति होनी चाहिए तथा गुणवत्तापूर्ण शोध कार्यों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

4. प्रो. जे.पी.एन. मिश्रा एवं अन्य सदस्यों का सुझाव था कि बैठक से पूर्व विचारणीय बिन्दु एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्र सभी सदस्यों को भिजवाने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सभी सदस्य उनका अध्ययन कर बैठक में अपने विचार प्रकट कर सकें।

अंत में कुलसचिव महोदय द्वारा कुलपति महोदया एवं अन्य सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

Samani charitra pragya
(समणी चारित्र प्रज्ञा)
अध्यक्षा

CamScanner

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं – 341 306 (राजस्थान)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अर्न्तगत मान्य विश्वविद्यालय घोषित)

दिनांक 29–30 अप्रैल, 2017 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 29–30 अप्रैल, 2017 को माननीय कुलपति महोदय प्रो. बच्छराज दूगड़ की अध्यक्षता में कुलपति कॉन्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया–

1.	प्रो. बच्छराज दूगड़, कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो. नलिन कुमार शास्त्री	सदस्य
3.	प्रो. आर.एस. यादव	सदस्य
4.	प्रो. के.एन. व्यास	सदस्य
5.	प्रो. समणी ऋजु प्रज्ञा	सदस्य
6.	प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो. अनिल धर	सदस्य
8.	प्रो. बनवारीलाल जैन	सदस्य
9.	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	सदस्य
10.	डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा	सदस्य
11.	डॉ. समणी श्रेयस प्रज्ञा	सदस्य
12.	डॉ. अमिता जैन	सदस्य
13.	डॉ. रविन्द्रसिंह राठौड़	सदस्य
14.	डॉ. प्रद्युम्नसिंह शेखावत	सदस्य
15.	डॉ. युवराजसिंह खंगारोत	सदस्य
16.	डॉ. सत्यनारायण भारद्वाज	सदस्य
17.	डॉ. गोविन्द सारस्वत	सदस्य
18.	प्रो. दामोदर शास्त्री	विशेष आमंत्रित
19.	डॉ. जुगलकिशोर दाधीच	विशेष आमंत्रित
20.	डॉ. योगेश जैन	विशेष आमंत्रित
21.	डॉ. जितेन्द्र कुमार वर्मा	विशेष आमंत्रित
22.	श्री विनोद कुमार कक्कड़	कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद् के नवीन सदस्यों एवं बैठक में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। दो दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से नवीन परीक्षा–स्वरूप, प्रोफेसर एमेरिटस, शोध–परियोजना नियमावली, नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, पूर्व पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन, शुल्क–योजना में परिवर्तन, पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा–आयोजना में लचीलापन (flexibility) आदि विविध विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक सुझावों के साथ स्वीकृतियाँ प्रदान की गईं। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

(01) अनुपस्थित सदस्यों के अवकाश की स्वीकृति
(Granting of Leave of Absence)

विद्या परिषद् के सदस्यों प्रो. मुनि महेन्द्र कुमार, प्रो. समणी चैतन्य प्रज्ञा, प्रो. समणी कुसुम प्रज्ञा एवं डॉ. समणी रोहिणी प्रज्ञा की बैठक में अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई।

(02) गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।
(Approval of minutes of the 30th Meeting held on 27th April, 2016)

सदन द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

की संख्या में 1 अतिरिक्त पत्र जोड़कर की जाएगी, जैसे–5 पत्रों की स्थिति में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 पत्र एवं 7 पत्रों की स्थिति में न्यूनतम 4 पत्र उत्तीर्ण करने पर ही आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा।

- विद्यार्थियों को अधिकतम 2 अंकों का अनुग्रह (Grace) केवल अन्तिम परीक्षा–परिणाम में उत्तीर्ण होने हेतु प्रदान किया जा सकेगा। इसी प्रकार श्रेणी सुधार हेतु भी अधिकतम 2 अंकों का अनुग्रह (Grace) प्रदान किया जा सकेगा। अन्तिम परिणाम में उत्तीर्ण होने हेतु एवं श्रेणी सुधार हेतु संयुक्त अनुग्रह (Grace) अधिकतम 2 अंकों का ही प्रदान किया जाएगा।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को सभी पत्र उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा एवं उनकी परीक्षा आयोजना परीक्षा–काल के दौरान लागू नवीन पाठ्यक्रम एवं परीक्षा–योजना के अनुरूप ही होगी।
- किसी कारणवश किसी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने वाले विद्यार्थियों को आगामी सेमेस्टर में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं होगी एवं वंचित रहे सेमेस्टर की परीक्षाएं आगामी वर्ष में उस सेमेस्टर की परीक्षा–आयोजना के साथ ही देनी होंगी।
- अगर विद्यार्थी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के किसी भी पत्र, जिसमें सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों का समावेश है; की प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वह विद्यार्थी केवल उसी पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा एवं ऐसी अवस्था में विद्यार्थी को उस पत्र की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं पुनः देनी होंगी।

(B) विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम

(i) जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग (Dept. of Jainology and Comparative Religion & Philosophy)

विभागाध्यक्ष प्रो. समणी ऋजुप्रज्ञा ने विद्या परिषद को यह जानकारी दी की एम.ए. के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार किया गया एवं पाठ्यक्रम में अन्य आवश्यक संशोधनों हेतु भी कई सुझाव प्रदान किये। पाठ्यक्रम में सभी आवश्यक संशोधनों को शामिल किये जाने के सुझाव के साथ विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागाध्यक्ष द्वारा एम.ए. जैनविद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन के पाठ्यक्रम में सेमेस्टर–3 के प्रथम पत्र में 'न्यायावतार' नामक मूल ग्रंथ के स्थान पर 'प्रमाण–मीमांसा' को शामिल किये जाने का अध्ययन–मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव रखा, जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागाध्यक्ष ने अध्ययन मण्डल की संस्तुति के आधार पर आगामी सत्र से विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित नवीन अल्पावधि पाठ्यक्रमों (MOOC – Massive Open Online Courses) को प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव रखा–

- जैन ज्योतिष (Jain Astrology)
- जैन जीवनशैली एवं पर्यावरण (Jain Lifestyle and Environment)
- प्रबन्धन : जैन प्रणाली (Jain System of Management)
- पाण्डुलिपि विज्ञान (Manuscriptology)
- विवाह–पूर्व परामर्श (Pre-Marriage Counselling)

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक एवं समान संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

CamScanner

(03) निम्नलिखित विभागों / महाविद्यालय में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधित / नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन –
(Discussion and approval of recommended syllabus (amended/new) by Board of Studies of their respective departments)–

(A) परीक्षा प्रारूप एवं नियम

सर्वप्रथम सभी विभागों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार संबंधित प्राध्यापक द्वारा ही प्रश्न–पत्र तैयार कर इकाई–परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा एवं पूर्ण पारदर्शिता एवं ईमानदारी से उसका मूल्यांकन किया जाएगा। पारदर्शिता एवं ईमानदारी के मूल्यांकन हेतु समय–समय पर बाह्य परीक्षकों के प्रश्न–पत्रों से भी परीक्षा–आयोजना करवाई जाएगी। यह परीक्षा प्रणाली आगामी सत्र 2017–18 से लागू होगी।

विद्या परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा इस नवीन परीक्षा–प्रणाली की प्रशंसा की गई एवं इसे अति नवीन एवं प्रभावी बताया गया, जिसमें भारतीय एवं विदेशी दोनों परीक्षा–प्रणालियों का समायोजन है। नवीन शिक्षण–पद्धतियों के अनुसार इसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा–प्रणाली में निम्न सुझावों के समावेश के साथ विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई–

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु प्रत्येक सेमेस्टर में दो बार Unit End Test आयोजित किया जाएगा। Unit End Test में एक साथ दो इकाइयों की परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके अंक–विभाजन का प्रारूप निम्न प्रकार होगा–

Unit End Test	CIA	Term Paper
60	20	20

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु विद्यार्थियों द्वारा Term Paper में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट Smart Board पर प्रस्तुत की जाए एवं इस हेतु Smart Board के उपयोग में विद्यार्थियों को दक्ष बनाने हेतु एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जाए।
- स्नातकोत्तर स्तर पर "Core-Foundation" के रूप में विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में Introduction to Jainism एवं द्वितीय सेमेस्टर में 7 वैकल्पिक पत्र–Value Education and Spirituality; Information Technology and Computer Application; The Use of English; Nonviolence and Peace; Preksha Meditation and Self-Management; Introduction to Prakrit; Social Work: Themes and Practice उपलब्ध होंगे, जिनमें से विद्यार्थी किसी एक पत्र का चयन करेगा। विद्यार्थी जिस विभाग का होगा उस विभाग के वैकल्पिक–पत्र का चयन नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार जैन विद्या के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को "Core-Foundation" के रूप में प्रथम सेमेस्टर में "Nonviolence and Peace" तथा द्वितीय सेमेस्टर में 6 वैकल्पिक पत्र–Value Education and Spirituality; Information Technology and Computer Application; The Use of English; Preksha Meditation and Self-Management; Introduction to Prakrit; Social Work: Themes and Practice उपलब्ध होंगे, जिनमें से विद्यार्थी किसी एक पत्र का चयन कर सकेगा।
- सभी विभागों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लघु शोध–प्रबन्ध पत्र में लघु शोध–प्रबन्ध हेतु 60 अंक एवं मौखिकी परीक्षा हेतु 40 अंक निर्धारित किये गये। उत्तीर्णांक हेतु सामूहिक रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। मौखिक परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु उत्तीर्णांक प्रत्येक पत्र हेतु 36 प्रतिशत एवं सभी पत्रों हेतु सामूहिक रूप से 40 प्रतिशत होंगे।
- उत्तीर्णांकों में किये गए नवीन परिवर्तनों के अनुरूप CGPA की ग्रेडिंग 36–49% से प्रारम्भ होगी।
- संस्थान द्वारा Provisonal Merit List ही जारी की जाएगी। पूनर्मुल्यांकन के बाद बढ़े अंकों का प्रभाव Merit List पर नहीं पड़ेगा।
- विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के न्यूनतम 50 प्रतिशत पत्रों में उत्तीर्ण होने पर ही अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। पत्रों की संख्या विषम होने की स्थिति में 50 प्रतिशत पत्रों की गणना पत्रों

CamScanner

(ii) **प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग (Dept. of Prachya Vidya Evam Bhasha)**

विभागाध्यक्ष डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा ने सदन को यह जानकारी दी की एम.ए. संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा आंशिक परिवर्तन किया गया है। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर स्वीकृति प्रदान की। सदस्यों द्वारा एम.ए. प्राकृत में लघु शोध–प्रबन्ध को अनिवार्य पत्र के रूप में लागू किये जाने एवं पाली–साहित्य को Elective Papers में शामिल किये जाने अथवा पूर्णतः हटा दिये जाने का सुझाव दिया गया। प्रो. के.एन. व्यास द्वारा शोध–प्रविधि पत्र के शीर्षकों में विषय की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किये जाने का सुझाव दिया, जिसे सदन ने स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा अध्ययन–मण्डल द्वारा अनुमोदित संस्कृत एवं प्राकृत के त्रैमासिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों में किये गये संशोधनों को प्रस्तुत किया गया। सदन ने इन पाठ्यक्रमों में व्याकरण आदि का अधिक समावेश न कर सामान्य व्यक्ति को संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में संभाषण हेतु सक्षम बनाने की दृष्टि से पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधनों का सुझाव दिया। इन त्रैमासिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हता के लिए 10वीं उत्तीर्ण अथवा न्यूनतम 18 वर्ष उम्र का निर्धारण किया गया।

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद के सदस्यों ने सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक एवं समान संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद् र द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(iii) **योग एवं जीवन विज्ञान विभाग (Dept. of Yoga and Science of Living)**

विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रद्युम्नसिंह शेखावत ने एम.ए./एम.एस.सी. योग एवं जीवन विज्ञान के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा स्वीकृत आवश्यक संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष रखी। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर अन्य आवश्यक संशोधनों हेतु भी कई सुझाव प्रदान किये–

- यदि किसी सेमेस्टर में कोई आनुप्रायोगिक पाठ्यक्रम शामिल किया जाता है तो यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि उस आनुप्रायोगिक पाठ्यक्रम से संबंधित सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम भी उसी सेमेस्टर में अथवा उससे पूर्व के किसी सेमेस्टर में शामिल किया गया हो।
- Dietetics एवं Nutrition पत्र को वैकल्पिक पत्रों की सूची में शामिल किया जाए अथवा 'प्रेक्षाध्यान एवं स्वास्थ्य–प्रबन्धन' पत्र में समायोजित किया जाए।
- 'Introduction of Ayurveda' पत्र के स्थान पर किसी अन्य उपयोगी पत्र को प्रतिस्थापित किया जाए।

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा योग एवं जीवन–विज्ञान विभाग के पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विशेष संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- जीवन विज्ञान विभाग के प्रायोगिक पत्र में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे एवं इस पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी उस सम्पूर्ण पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(iv) **अहिंसा एवं शांति विभाग (Dept. of Non-Violence & Peace)**

प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉ. रविन्द्रसिंह राठौड़ ने एम.ए. अहिंसा एवं शांति तथा एम.ए. राजनीति विज्ञान के अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। विद्या

परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर कई सुझाव प्रदान किये–

- सदन ने माननीय कुलपति महोदय से प्राप्त सुझावानुसार एम.ए. अहिंसा एवं शांति, तथा राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित 'Project & Practical' पत्र को हटाकर इसके स्थान पर प्रथम सेमेस्टर में 'Basic Principals of Gandhian Thought' एवं द्वितीय सेमेस्टर में 'Political Sociology' पत्रों को शामिल किये जाने की अनुशंसा की, वहीं एम.ए. राजनीति विज्ञान के तृतीय पत्र में 'Project & Practical' पत्र के स्थान पर 'Federalism and Union State Relations in India' पत्र को लागू किये जाने की अनुशंसा की, जिसे सदन ने सर्वस्वीकृति प्रदान की, जिसे सदन ने सर्वस्वीकृति प्रदान की।
- पाठ्यक्रम में प्रो. आर.एस. यादव के सुझावानुसार अहिंसा एवं शांति; तथा राजनीति विज्ञान में वर्तमान में सम्मिलित एवं प्रचलित नवीन सिद्धान्तों, विचारों, नवीन सन्दर्भ पुस्तकों को शामिल किये जाने एवं शीर्षकों में आवश्यक सामान्य बदलावों के समावेश के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु विद्या परिषद् ने स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा अहिंसा एवं शांति विभाग के पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यक संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- अहिंसा एवं शांति विभाग में प्रायोगिक पत्र "Training in Nonviolence" में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे एवं इस पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी उस सम्पूर्ण पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा अर्थात् उसे उस पत्र की सैद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं पुनः देनी होंगी।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(v) समाज कार्य विभाग (Dept. of Social Work)

विभागाध्यक्ष डॉ. बिजेन्द्र प्रधान ने एम.ए. समाजकार्य के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित आवश्यक संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष रखी, जिसमें मुख्य रूप से सेमेस्टर–3 के चतुर्थ पत्र के शीर्षक "Employee Welfare and Social Security" को "Labour Welfare and Social Security" के रूप में परिवर्तित करने एवं अधिकांश विश्वविद्यालयों में वर्तमान में लागू परम्परा के अनुसार विद्यार्थियों को चतुर्थ सेमेस्टर के स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर के पश्चात् Block Placement हेतु भेजे जाने के सुझाव थे। इसके अतिरिक्त अध्ययन मण्डल द्वारा कुछ पत्रों में भी संक्षिप्त संशोधन सुझाये गए। विद्या परिषद् ने पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा समाजकार्य के पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विशेष संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- Field Work Practicum (Internal+External) में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक रूप से अर्जित करने होंगे एवं Field Work Practicum में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
- Field Work हेतु अधिकतम 200 अंकों का निर्धारण किया गया, जिसमें से बाह्य परीक्षक के पास 160 अंक (120 अंक Viva-voce + 40 अंक Compiled Report) एवं संबंधित Supervisor के पास 40 अंक का मूल्यांकन होगा।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

CamScanner

(vi) **शिक्षा विभाग (Department of Education)**

विभागाध्यक्ष प्रो. बनवारीलाल जैन द्वारा शिक्षा विभाग के बी.एड., एम.एड., बी.ए.–बी.एड., बी.एससी. –बी.एड. पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर उन्हें एवं निम्न कतिपय नवीन निर्णयों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई–

- शिक्षा विभाग के सभी पाठ्यक्रमों हेतु NCTE द्वारा निर्धारित Framework की पूर्ण रूप से अनुपालना की जाए।
- एम.एड. की परीक्षा–आयोजना आगामी सत्र (2017-18) से नवीन परीक्षा–प्रणाली के आधार पर आयोजित की जाए, जो आगामी सत्र के प्रवेशार्थियों पर ही लागू होगी।
- एम.एड. के EPC (Enhancement Professonal Capacity) पत्रों को पाठ्यक्रम से हटाया जाए एवं उनके स्थान पर Core Foundation पत्र के रूप में स्नातकोत्तर हेतु निर्धारित पत्रों को ही रखा जाए।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में Core Foundation पत्र के रूप में प्रथम सेमेस्टर में "Introduction to Jainism" एवं तृतीय सेमेस्टर में "Yoga and Preksha Meditation" तथा "Critical Understanding of ICT" दो अनिवार्य पत्र (50–50 अंक) रखे जाएंगे।
- बी.एससी.–बी.एड. के विद्यार्थी जिन्होंने वर्तमान सत्र (2016–17) में प्रथम सेमेस्टर में "Yoga and Preksha Meditation" एवं "Value Education" पत्र की परीक्षाएँ दी हैं, उनके लिए तृतीय सेमेस्टर में "Introduction to Jainism" एवं "Critical Understanding of ICT" दो अनिवार्य–पत्र (50–50 अंक) के रूप में परीक्षाएँ आयोजित की जाएँ।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर के पत्र "Preksha Meditation and Yoga Education" को हटाया गया, क्योंकि इसे तृतीय सेमेस्टर में Core-Foundation में "Yoga and Preksha Meditation" अनिवार्य पत्र के रूप में जोड़े जाने की अनुशंसा की गई है।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में Internship का समय अधिक होने के कारण प्रत्येक सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को 22 क्रेडिट के स्थान पर 20 क्रेडिट में परिवर्तित किया जाए।

विभागाध्यक्ष द्वारा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुझावों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- शिक्षा संकाय के सभी पत्रों में Internship में उत्तीर्ण होने हेतु विद्यार्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने अनिवार्य होंगे एवं Internship में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को उस पूरे पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
- स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय के 3 पत्रों हेतु पृथक्–पृथक् सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए एवं प्रत्येक पत्र के लिए 20 अंकों (कुल 60 अंक) का निर्धारण किया जाए।
- स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों हेतु अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा–

Theory	CIA	Practical
60	15	25

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या–परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की।

CamScanner

(vii) अंग्रेजी विभाग (Department of English)

विभागाध्यक्ष डॉ. गोविन्द सारस्वत ने एम.ए. अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी प्रदान की, जो निम्नानुसार थी–

- प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय पत्र "Literature for Human Values" को पाठ्यक्रम से हटाया गया एवं तृतीय पत्र "Selections from Chaucer to Blake" को द्वितीय पत्र में "Poetry: Chaucer to Milton" शीर्षक से एवं चतुर्थ पत्र "Wordsworth to Eliot" को द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय पत्र "Communication and References Skills" को हटाकर उसके स्थान पर "British Poetry: Romantic Victorian and Modern" शीर्षक से जोड़ा गया। तृतीय पत्र में "Indian English Poetry" एवं चतुर्थ पत्र में "Literary Criticism: Ancient" नामक नवीन पत्र जोड़े गए।
- द्वितीय सेमेस्टर में तृतीय पत्र में "Literature for Indian Values" पत्र के साथ नवीन पत्र "Drama" वैकल्पिक पत्र के रूप में जोड़ा गया एवं चतुर्थ पत्र "New Literature in English" की पाठ्यसामग्री को तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में संबंधित साहित्य के पत्रों के साथ समायोजित की गई एवं इसके स्थान पर "Literary Criticism" नामक नवीन पत्र जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के प्रथम पत्र "Career Communication Skills" को हटाकर इसके स्थान पर "American Literature" नामक नवीन पत्र एवं द्वितीय पत्र की इकाई "Jawaharlal Nehru – The Discovery of India" को हटाकर इसके स्थान पर "Age of Blindness / Andha Yuga – Dharamveer Bharti" को जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के तृतीय पत्र "Translation – Theory and Practice" को पंचम पत्र में प्रथम वैकल्पिक पत्र के रूप में जोड़ा गया एवं तृतीय पत्र के रूप में "Literary Criticism" नामक नवीन पत्र को जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र के द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Indian Classics in Translation" की प्रथम इकाई "Bharta: Natya Shastra (Chapter-1)" को द्वितीय सेमेस्टर के पंचम पत्र में समायोजित किया गया एवं द्वितीय इकाई "Shudrak: Mrichhkatikam" को द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में समायोजित किया गया।
- तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र के दोनों वैकल्पिक पत्रों के स्थान पर निम्न दो नवीन पत्रों को सम्मिलित किया गया–
    - "World Classics in Translation" पत्र के स्थान पर "Fiction"
    - "Indian Classics in Translation" पत्र के स्थान पर "Fiction : Indian"
- तृतीय सेमेस्टर के पंचम पत्र के प्रथम वैकल्पिक पत्र "Indian Writing in English Novels & Short Stories" को शीर्षक परिवर्तित कर तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Fiction : Indian" के रूप में जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के पंचम पत्र में द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Indian Writing in English: Poetry" के स्थान पर चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय पत्र "English Language Teaching" को जोड़ा गया।
- चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम पत्र "English in India" को हटाकर इसके स्थान पर चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पत्र की पाठ्यसामग्री को रूपान्तरित कर "Contemporary Critical Theory" नामक नवीन शीर्षक के रूप में जोड़ा गया एवं द्वितीय पत्र के रूप में "African Writing in English" नवीन पत्र को जोड़ा गया।
- चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पत्र "Literary Theories" के स्थान पर "Contemporary Poetry" नामक नवीन पत्र को जोड़ा गया।
- चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में प्रथम वैकल्पिक पत्र "Literature of Protest in India" के स्थान पर "Post Colonial Literature" एवं द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Folk Literature of India" के स्थान पर "Literature of the Protest" नामक नवीन पत्र को जोड़ा गया, जिसमें प्रथम वैकल्पिक पत्र "Literature of Protest in India" की दो इकाइयों "Om Prakash Valmiki: Joothan" एवं "Faustina Soosairaj Bama: Sangati" को भी समायोजित किया गया।

CamScanner

इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष ने पाठ्यक्रम में किये गये संक्षिप्त बदलावों की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की। विद्या परिषद् के सदस्यों ने अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर पाठ्यक्रम में अन्य आवश्यक संशोधनों हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रदान किये गए–

- तृतीय सेमेस्टर के द्वितीय पत्र में से हटाई गई "Jawaharlal Nehru – The Discovery of India" इकाई को चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र "Post Colonial Literature" में समायोजित किया जाए।
- चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पत्र में 'Snow Man' कविता को हटाया जा सकता है एवं कमलादास की किसी एक कविता को शामिल किया जा सकता है।
- पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में दी गई सन्दर्भ पुस्तकों की सूची प्रत्येक संबंधित पत्र के अंत में दी जाए।

विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों हेतु सदन द्वारा प्रदत्त नवीन सुझावों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागाध्यक्ष ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद के सदस्यों ने सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक एवं समान संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(viii) आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय (Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya)

महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्या डॉ. अमिता जैन द्वारा सत्र 2017–18 में महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने एवं इस हेतु बी.एससी.–बी.एड. में संचालित बी.एससी. के पाठ्यक्रम को ही लागू किया जाने तथा कला एवं वाणिज्य संकाय के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों तथा कला संकाय में नवीन विषय 'राजस्थानी साहित्य' को जोड़े जाने की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर कुछ नवीन संशोधन भी सुझाए। विद्या परिषद द्वारा निम्न निर्णयों के साथ सभी आवश्यक संशोधनों एवं विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई–

- कला संकाय के किसी भी वैकल्पिक–पत्र का न्यूनतम 15 विद्यार्थियों द्वारा चयन किये जाने पर ही सत्र में उस वैकल्पिक–पत्र का अध्यापन करवाया जाएगा। संस्थान के केवल Core विषयों–जैन विद्या; संस्कृत; प्राकृत; अहिंसा एवं शांति; तथा योग एवं जीवन–विज्ञान हेतु यह नियम लागू नहीं होगा। यही व्यवस्था विज्ञान संकाय पर भी लागू होगी।
- कला संकाय के सेमेस्टर–6 में 'हिन्दी साहित्य' विषय के पत्र का शीर्षक 'प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं अनुवाद' को अध्ययन मण्डल द्वारा 'हिन्दी भाषा एवं काव्यांग विवेचन' शीर्षक के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा परिवर्तित न करते हुए पूर्ववत 'प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं अनुवाद' रखे जाने का निर्णय लिया।
- वाणिज्य संकाय के सेमेस्टर–5 के द्वितीय पत्र का शीर्षक "Industrial Law" को अध्ययन मण्डल द्वारा "Economical Law" शीर्षक के रूप में परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन किया, जिसे विद्या परिषद् ने परिवर्तित करते हुए "Industrial and Economical Law" किये जाने का निर्णय लिया।
- विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय के 3 पत्रों हेतु पृथक्–पृथक् सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए एवं प्रत्येक पत्र के लिए 20 अंकों (कुल 60 अंक) का निर्धारण किया जाए।
- विज्ञान संकाय के विषयों हेतु अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा–

Theory	CIA	Practical
60	15	25

प्राचार्या द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

CamScanner

(ix) दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

- दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी सदन को दी। प्रो. नलिन शास्त्री द्वारा सत्रीय–कार्य हेतु प्रस्तावित नई प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पाठ्यक्रम के प्रत्येक पत्र में से 15 निबन्धात्मक प्रश्नों का चयन कर विद्यार्थियों को उसी चयनित समूह में से अपनी रुचि के स्नातक स्तर पर 3 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 4 प्रश्न हल करने हेतु संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का सुझाव दिया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया।
- बी.पी.पी. के नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में दो पत्रों के स्थान पर पांच पत्रों के समावेश को स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्व पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजना के नियमानुसार यदि विद्यार्थी अपने दोनों पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता था तो उसे आगामी वर्ष में सभी प्रश्न–पत्रों की पुनः परीक्षा देनी होती थी, जबकि वर्तमान संशोधित पाठ्यक्रम में पांच पत्र हैं अतः विद्यार्थी के उत्तीर्ण पत्रों को आगामी वर्ष में भी उत्तीर्ण मानते हुए सिर्फ अनुत्तीर्ण पत्रों हेतु ही पुनः परीक्षा दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
- निदेशक प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने विद्यार्थी द्वारा परीक्षा–परिणाम की घोषणा तक सत्रीय कार्य जमा नहीं करवा पाने की स्थिति में विद्यार्थी को सत्रीय कार्य जमा करवाने हेतु कुछ दिवस का अन्तिम अवसर दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया, एतदर्थ विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम रोककर विद्यार्थी को सत्रीय कार्य जमा करवाने हेतु अन्तिम अवसर के रूप में परीक्षा परिणाम की घोषणा से अधिकतम 45 दिन का समय दिये जाने की सदन द्वारा स्वीकृति दी गई। सदन द्वारा रोके जाने वाले परीक्षा परिणामों को "RW" (Result Withheld – Due to Assignment) के रूप में दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु उत्तीर्णांक प्रत्येक पत्र हेतु 36 प्रतिशत एवं सभी पत्रों हेतु सामूहिक रूप से 40 प्रतिशत होंगे।

(x) शोध (Research)

सहायक शोध–निदेशक डॉ. जितेन्द्र वर्मा द्वारा सदन को जानकारी प्रदान की गई कि संस्थान द्वारा अपनी शोध–नियमावली में नवीन UGC Research Regulation 2016 एवं यूजीसी के शोध संबंधी सभी आवश्यक नियमों को भी शामिल किया गया है एवं इनकी पूर्ण अनुपालना की जा रही है। नये शोध नियमों के अनुसार RAC (Research Advisory Committee) का गठन किया गया है एवं Research Regulation 2009 के अनुसार आयोजित किये जाने वाले Course Work की परीक्षा–आयोजना में संबंधित विभाग के विषय का एक प्रश्न–पत्र भी शामिल किया गया है।

- RET परीक्षा में पूर्व में उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत अंक थे, जिसे संशोधित कर वर्तमान में उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत अंक को स्वीकृति प्रदान की गई।
- अहिंसा एवं शांति विभाग में पी–एच.डी. शोधार्थियों हेतु अहिंसा एवं शांति विषय की वार्षिक फीस 10,000/– एवं राजनीति विज्ञान विषय की वार्षिक फीस 15,000/– तथा योग एवं जीवन विज्ञान विभाग में पी–एच.डी. शोधार्थियों हेतु नवीन वार्षिक फीस 15,000/– किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।
- शोध हेतु विभागवार पूर्व प्रस्तावित विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित नवीन विषयों को Allied विषय के रूप में शामिल किये जाने का प्रस्ताव रखा गया–
  - जैनविद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन विभाग–हिन्दी एवं राजस्थानी
  - प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग–अपभ्रंश तथा हिन्दी विषय से पीएच.डी. हेतु–हिन्दी, राजस्थानी
  - अहिंसा एवं शांति विभाग–मूल्य शिक्षा, शांति शिक्षा, हिन्दी, इतिहास तथा लोक प्रशासन
  - जीवन विज्ञान विभाग–शिक्षा, संस्कृत, समाजशास्त्र तथा शारीरिक शिक्षा
  - समाज कार्य विभाग–मानवाधिकार, लैंगिक अध्ययन, समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास तथा मानव संसाधन प्रबंधन।
- शोध–निर्देशक के रूप में डॉ. समणी हिमप्रज्ञा एवं डॉ. गोविन्द सारस्वत की स्वीकृति प्रदान की गई।

सदन ने प्रस्तावित एम.फिल./पीएच.डी. अध्यादेश–2016 के बिन्दु–21 (Unfair Means and Plagiarism) हेतु माननीय कुलपति महोदय को स्थाई समिति (Standing Committee) के निर्माण

CamScanner

हेतु अधिकृत किया गया। सदन द्वारा नवीन शोध–नियमानुसार विश्वविद्यालय में सभी पूर्णकालिक शोधार्थियों से Stamp Paper पर किसी अन्य स्थान पर कार्य न करने की Undertaking लेने का सुझाव दिया गया। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित नवीन शोध अध्यादेश–2016 को उपरोक्त सभी परिवर्तनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

(04) संस्थान के MOA में निर्दिष्ट विद्या परिषद् के संगठन में बिन्दु संख्या–9 की अनुपालना में (तीन सदस्य जो संस्थान के शैक्षणिक सदस्य नहीं होंगे एवं विद्या–परिषद् द्वारा उनके विशेष ज्ञान के आधार पर नियुक्त किये जाएँगे) पूर्व में नियुक्त तीनों विद्वानों का द्विवर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर विद्या परिषद् द्वारा उनके स्थान पर निम्न तीन विद्वानों को आगामी दो वर्ष हेतु विद्या–परिषद् सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई–

1. प्रो. के.एस. भारती, नागपुर, महाराष्ट्र
2. प्रो. भागचन्द जैन 'भास्कर', नागपुर, महाराष्ट्र
3. प्रो. ए.के. मलिक, जोधपुर

(05) अहिंसा एवं शांति विभाग में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापकों हेतु निम्न प्रकार पदों की स्वीकृतियां प्रदान की गईं–

- आचार्य (Professor)–01
- सह–आचार्य (Associate Professor)–01
- सहायक–आचार्य (Assistant Professor)–02

(06) प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग में संस्कृत प्राध्यापक (सहायक–आचार्य) पद की स्वीकृति प्रदान की गई।

(07) संस्थान में शिक्षा विभाग में वर्तमान में संचालित बी.एससी.–बी.एड. पाठ्यक्रम एवं आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में नवीन सत्र से विज्ञान संकाय प्रारम्भ किया जा रहा है, अतः इस हेतु निम्न पदों की नवीन स्वीकृतियां प्रदान की गईं–

- गणित–01
- भौतिक विज्ञान–01
- रसायन विज्ञान–01
- जीव–विज्ञान–01
- वनस्पति–शास्त्र–01

(08) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव–विज्ञान एवं वनस्पति–शास्त्र की प्रयोगशालाओं में तकनीकी सहायक के पदों हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गई।

(09) विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय को प्रश्न–पत्र निर्माण, उत्तर–पुस्तिका जांच एवं परीक्षा–परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया हेतु विभिन्न विशेषज्ञों के नामों के निर्धारण हेतु निर्णायक के रूप में अधिकृत किया गया।

(10) सदन के समक्ष माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में बनाई गईं निम्न नवीन नियमावलियाँ/मार्गदर्शिकाएँ प्रस्तुत की गईं–Guidelines for Emeritus Professorship, Guidelines for Research Projects एवं Guidelines for Honoris Causa। विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय के इस कार्य की सराहना की गई एवं इन्हें लागू किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

(11) विभिन्न विभागों में प्रवेश हेतु निर्धारित की गई Intakes की संख्या में निम्न प्रकार संशोधन किया गया–

- सभी स्नातकोत्तर विषय (समाजकार्य, योग एवं जीवन विज्ञान और राजनीतिशास्त्र को छोड़कर) – 15
- M.A./M.Sc. in Yoga and SOL – 35
- M.A. in Political Science – 25
- MSW – 50
- MA in English – 15
- B.Com. – 60
- B.Sc. – 40
- सभी विभागों में संचालित सभी Diploma एवं PG Diploma – 15
- Certificate Course in Journalism & Mass Media – 30
- Certificate Course in Office Automation and Internet – 30

जिस हेतु विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

CamScanner

(12) कुलसचिव महोदय द्वारा परीक्षा आयोजना की विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु दिये जाने वाले विभिन्न पारिश्रमिक को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस हेतु विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों में दिये जाने वाले पारिश्रमिक के अनुरूप संशोधित किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

(13) सदन के समक्ष उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण के निर्धारण हेतु उपयोग किये जाने वाले सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा के अंकों के साथ सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) के अंकों को जोड़कर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे विद्या–परिषद ने स्वीकृत प्रदान की।

(14) सदन द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस में की गई वृद्धियों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

(15) सदन द्वारा प्रतिमाह विभिन्न विभागों में प्रसिद्ध विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित कर अतिथि–व्याख्यान आयोजित करवाने का सुझाव दिया गया।

(16) प्रोफेसर दामोदर शास्त्री द्वारा संस्थान के प्रकाशनों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार एवं प्रकाशन से पूर्व प्रकाशन सामग्री में भाषा की अशुद्धियों एवं सामग्री में तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच हेतु विशेषज्ञों से पुनरावलोकन करवाने का सुझाव दिया गया।

(17) विद्या–परिषद के सदस्यों द्वारा दूरस्थ शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रमों, जिनकी पाठ्यसामग्री अभी तक संस्थान द्वारा तैयार नहीं की गई है, यथाशीघ्र पाठ्यसामग्री के निर्माण करवाने एवं पूर्व निर्मित सामग्री का विषय–विशेषज्ञों से पुनरावलोकन करवाकर आवश्यक संशोधन करवाने का सुझाव दिया गया।

(18) कुलसचिव महोदय ने विद्यार्थियों को समय–समय पर दी जाने वाली Fellowship और Medals के संबंध में सदन के दिशा–निर्देशन हेतु अनुरोध किया गया। विद्या–परिषद् के सदस्यों का मत था कि इस संबंध में नियमों का प्रारूप तैयार किया जाए और अनुमोदन के लिए विद्या–परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(19). कुलसचिव महोदय ने संस्थान के शैक्षणिक मानकों में निर्देश, मूल्यांकन और सुधार की विधि के सन्दर्भ में सदन के विचार–विमर्श एवं दिशा–निर्देशन हेतु अनुरोध किया। सदन ने संस्थान द्वारा समय–समय पर शैक्षणिक मानकों के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु किये जाने वाले प्रयासों को संतोषप्रद बताया एवं इस हेतु किये जाने वाले प्रयासों को सतत जारी रखने के निर्देश दिये।

(20) सदन द्वारा नवीन नियमित पाठ्यक्रमों हेतु भी शीघ्रातिशीघ्र पाठ्यसामग्री का निर्माण करवाने की सलाह दी गई।

अंत में माननीय कुलपति महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(विनोद कुमार कक्कड़)
कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

CamScanner